


निविदा सूचना

क्र. सं.	कार्य का नाम	निविदा प्रपत्र का मूल्य (जी०एस०टी० सहित)	धरोहर राशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा की वैधता	श्रेणी (भवन)
1	पर्यटक आवास गृह, मल्लीताल में डायनिंग हॉल के उच्चीकरण का कार्य।	1770.00	38000.00	02 माह	01 माह	"सी" एवं उच्चतर
2	पर्यटक आवास गृह तल्लीताल में रिसेप्शन, टॉयलेट का उच्चीकरण एवं डायनिंग हॉल से कक्षों की ओर जाने वाले कॉरीडोर का उच्चीकरण।	1770.00	39000.00	02 माह	01 माह	"सी" एवं उच्चतर
3	पर्यटक आवास गृह, तल्लीताल में अन्तिम ब्लॉक में स्थित 08 कक्षों के उच्चीकरण का कार्य।	2360.00	49000.00	02 माह	01 माह	"बी" एवं उच्चतर
4	पर्यटक आवास गृह, भीमताल में रिसेप्शन, डायनिंग के उच्चीकरण का कार्य।	1770.00	39000.00	02 माह	01 माह	"सी" एवं उच्चतर
5	पर्यटक आवास गृह, नौकुचियाताल में रिसेप्शन, डायनिंग एवं फन्ट-फसाड के उच्चीकरण का कार्य।	2360.00	50,000.00	02 माह	01 माह	"बी" एवं उच्चतर
6	पर्यटक आवास गृह, मुक्तेश्वर में स्वागत कक्ष के उच्चीकरण एवं अवशेष का कार्य।	1770.00	40,000.00	02 माह	01 माह	"सी" एवं उच्चतर
7	विकास खण्ड भीमताल के भीमताल नगर में विकास भवन के समीप स्थित पार्क में ओपन एयर जिम स्थापना एवं पार्क का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	1180.00	18000.00	02 माह	01 माह	"डी" एवं उच्चतर
8	विकास खण्ड भीमताल के नैनीताल नगर में ओपन एयर जिम स्थापना का कार्य।	1180.00	18000.00	02 माह	01 माह	"डी" एवं उच्चतर
9	पर्यटक आवास गृह, बिन्सर में मरम्मत का कार्य।	2360.00	50,000.00	04 माह	01 माह	"बी" एवं उच्चतर

शर्तः- किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय एवं www.kmvt.in में देखी जा सकती है। यदि उपरोक्त पर कोई संसोधन किया जाता है तो उसकी सूचना केवल निगम की वेबसाईड के माध्यम से प्रदर्शित की जायेगी।

निविदादाता को निम्न शर्तों का पालन करना अनिवार्य है।

- 1-कमांक (01) से (09) तक की निविदा केवल निगम में पंजीकृत ठेकेदारों को ही विक्रय की जायेगी तथा उनके द्वारा निविदा प्रपत्र कय करने से पूर्व पंजीयन प्रमाण-पत्र तथा सम्बन्धित कार्य की धरोहर धनराशि निर्धारित प्रारूप में (एन०एस०सी०/एफ०डी०आर०/कॉल डिपोजिट के रूप में महाप्रबन्धक, कु०म०वि०नि० के नाम बन्धक होनी चाहिए) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 2-निविदादाता को जी०एस०टी०, आयकर प्रमाण पत्र में पंजीकृत होना आवश्यक है। जिसकी छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- 3-निविदा के साथ रू० 100.00 का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मय हस्ताक्षरयुक्त रू० 1.00 का रेवेन्यू टिकट के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
- 4-अपूर्ण, सशर्त एवं संदिग्ध निविदा किसी दशा में मान्य नहीं होगी।
- 5-निविदा में मात्राएँ घटाई एवं बढ़ाई जा सकती हैं जिसमें ठेकेदार का कोई भी ग्लेम मान्य नहीं होगा।
- 6-अनुबन्ध गठन हेतु बुलाये गये समय तथा अनुबन्ध गठन करने के एक सप्ताह के अन्दर यदि कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया, तो निविदा/अनुबन्ध की धरोहर/जमानत धनराशि नियमानुसार जब्त की जायेगी।
- 7-प्रबन्ध निदेशक एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता को एक या एक से अधिक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- 8-अनुबन्ध गठित करने पर शासनादेशों के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी लगाना आवश्यक है।
- 9-निर्माण कार्य की गुणवत्ता निम्न स्तर की पायी जाती है या त्रुटिपूर्ण माप के कारण ठेकेदार को अधिक भुगतान होने के कारण शासन को हानि भी पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उस हानि की धनराशि की वसूली शासनादेश संख्या 983/23-999-11/96 लो.नि.वि. के अनुभाग-9 लखनऊ दिनोंक 12 मई, 1999 के अनुच्छेद (2) निहित प्राविधानों अनुसार की जायेगी।
- 10-यदि शासन/उच्च अधिकारियों द्वारा किसी अपरिहार्य कारणवश निर्माण कार्य को रोकने के आदेश दिये जाते हैं तो ठेकेदार को उसी स्थिति में कार्य रोकना पड़ेगा तथा ठेकेदार केवल किये गये कार्य के भुगतान का दावेदार होगा। शेष कार्य हेतु ठेकेदार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- 11-निविदा की तिथि को अवकाश होने की दशा में निविदा अगले कार्यदिवस को खोली जायेगी।
- 12-निविदा की दरें प्रतिशत में ही मान्य होगी। जो कि अंक एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से लिखा जाना अनिवार्य है।
- 13-ठेकेदार द्वारा धरोहर राशि के रूप में जमा की जाने वाली निर्धारित धनराशि अलग-अलग कार्यों हेतु मूल में अलग-अलग जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा।


महाप्रबन्धक